

प्रति

लोक सूचना अधिकारी
भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान
बैरसिया रोड भोपाल. 462038

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जानकारी देने बावत्।

महोदय

कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जानकारी प्रदान करें।

मेरी इंकवारी	आपके जवाब	मेरी जिज्ञासा
1 एल.टी.सी/टी.ए के तहत हवाई यात्रा के बारे में डी.ओ.ई. के सर्कुलर नं. 19024/1/2009 - ई.-IV, दिनांक 16/09/2010 का आफिस (संस्थान) को कब पता चला।	एल.टी.सी/टी.ए के तहत हवाई यात्रा के बारे में डी.ओ.ई. के सर्कुलर नं. 19024/1/2009 - ई.-IV, दिनांक 16/09/2010 की जानकारी परिषद् के पत्रांक दिनांक के द्वारा परिषद् के वेबसाइट (public domain) पर प्रदर्शित होने के बाद पता चला।	OK, शायद पत्रांक सं 10(1)/2009-CDN, (A&A) दिनांक 19/09/2010 के द्वारा परिषद् के वेबसाइट (public domain) पर प्रदर्शित होने के बाद आफिस (संस्थान) को पता चला? क्या ये सही है?
2 डीओई के सर्कुलर नं 19024/1/2009 - ई.-IV, दिनांक 16/09/2010 को कार्यालय (संस्थान) द्वारा पहली बार कर्मचारियों को कब सर्कुलेट किया गया तिथि के साथ ड्राफ्टिंग नोट भी संलग्न करें।	डीओई के सर्कुलर नं 19024/1/2009 - ई.-IV, दिनांक 16/09/2010 परिषद् के वेबसाइट icar.org.in (public domain) पर दिनांक 19.10.2010 से उपलब्ध है।	OK, इसका अर्थ ये है की कर्मचारियों को भी वेबसाइट के माध्यम से ही पता चला, और आपने इसको सर्कुलेट नहीं किया - क्या ये सही है? यदि ये सही नहीं है तो इसका अर्थ ये भी है की वेब की सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए उचित माध्यम व गुणवत्ता पर उपलब्ध थी - क्या इस स्थिति से आप सहमत हैं?
3 डीओई के सर्कुलर नं 19024/1/2009 - ई.-IV, दिनांक 16/09/2010 परिपत्र के दिशा निर्देश जारी होने के बाद संस्थान के कितने कर्मचारियों ने इसका पूरी तरह से पालन किया तथा कितने	डीओई के सर्कुलर नं 19024/1/2009 - ई.-IV, दिनांक 16/09/2010 परिपत्र के दिशा निर्देश जारी होने के बाद आंतरिक एवं बाह्य लेखा परीक्षा की रिपोर्ट 2013-14 एवं 2016 के अनुसार 30 कर्मचारियों द्वारा पालन नहीं किया गया (सूची संलग्न है)	डीओई के सर्कुलर नं 19024/1/2009 - ई.-IV, दिनांक 16/09/2010 परिपत्र के दिशा निर्देश के बाद 2-3 साल बाद संस्थान के वित्त एवं लेखा अनुभाग द्वारा 30 लोगों पर ही कार्यवाही की गयी? क्या आपकी 30 की लिस्ट आपके आंतरिक

कर्मचारियों ने इसे अमल में नहीं लाया (सूची संलग्न करें)।		ऑडिट से बिलकुल मैच करती है? क्या आप केवल बाह्य ऑडिट संस्था द्वारा बताये लिस्ट को ही अंतिम सच मानते हैं? आपके वित्त एवं लेखा अनुभाग के आधार पर डिफाल्टर संख्या क्या है?
4 डीओई के सर्कुलर नं 19024/1/2009 - ई.-IV, दिनांक 16/09/2010 को अमल न करने वाले कितने कर्मचारियों के विरुद्ध संस्थान द्वारा क्या कार्यवाही की गई विस्तृत विवरण संलग्न करें।	डीओई के सर्कुलर नं 19024/1/2009 - ई.-IV, दिनांक 16/09/2010 को अमल न करने वाले 10 कर्मचारियों के वेतन से कटौती कर ली गयी है एवं 20 कर्मचारियों से वसूली आदेश पर स्थगन के कारण मामला केंद्रीय प्रशासनिक न्यायधिकरण (CAT, Jabalpur) में चल रहा है।	-
5 टीए/एलटीसी अग्रिम स्वीकृत पत्र में डीओई ;गाइडलाइन सर्कुलर नं 19024/1/2009 - ई.-IV, दिनांक 16/09/2010 के दिशा निर्देश को संस्थान ने कब से अमल में लाया।	टीए/एलटीसी के तहत हवाई यात्रा के बारे में डी ओ ई के सर्कुलर न. 19024/1/2009 - ई.-IV, दिनांक 16/09/2010 का ऑफिस (संस्थान) को परिषद् के वेबसाइट (Public Domain) में आने के बाद ही लागू कर दिया गया।	जब सर्कुलर को परिषद् ने 2010 संस्तुति दे दिया - इसका अर्थ ये हुआ की 2010 से ही संस्थान के पास ये जानकारी उपलब्ध थी तो भी आपके LTC सैंक्शन लेटर में 2013 से ही परिषद् की गाइडलाइन्स का जिक्र है और कहीं नहीं भी - क्या ये सही है? लगभग 2-3 साल के दौरान कितने लोगों ने गाइडलाइन्स को फॉलो किया और कितने लोगों ने नहीं किया? कृपया स्पष्ट करें और लिस्ट संलग्न करें।

अखिलेश शुक्ल

मन.डीके. 2/134,

दानिष कुंज कोलार रोड भोपाल

(भा0 कू0 अनु0 प0) भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान
नबीबाग, बैरसिया रोड, भोपाल - 462038

ICAR-Indian Institute of Soil Science

Nabibagh, Berasia Road, Bhopal - 462 038 (M.P.)

Tel No.(0755)2730970/2734221 (Ext. No. 252 & 255) Fax. No. (0755) 2733310

F.No. RTI/SAO/IISS/2018-19-(VI)

Dated: 10.07.2018

प्रति,

श्री अखिलेश शुक्ल, म.नं.-डी.के.-2/134,
दानिश कुंज, कोलार रोड,
भोपाल - 462 042.

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जानकारी देने बाबत।

महोदय,

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक शून्य जो कि अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 14.06.2018 को प्राप्त हुआ है, के संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि, वाही गई जानकारी हमारे पत्र क्रमिक RTI/SAO/IISS/2018-19(III)/310 दिनांक 14/15.05.2018 के द्वारा पूर्ण रूप से दे दी गई थी।

उपरोक्तानुसार आपके प्रार्थना पत्र का निपटारा किया जाता है। अगर आप उक्त सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो आप अपीलीय अधिकारी को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

अपीलीय अधिकारी का पता निम्नानुसार है :-

निदेशक / अपीलीय अधिकारी,

(भा0कू0अनु0प0)-भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, नबीबाग, बैरसिया रोड,

भोपाल- 462 038 (म.प्र.)

भवदीय


(सुनील कुमार गुप्ता)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / सी.पी.आई.ओ

(S. K. GUPTA)
Senior Admn. Officer / CPIO
ICAR-Indian Institute of Soil Science
Nabibagh, Berasia Road, Bhopal-38